भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1801

05 अगस्त, 2025 के लिए प्रश्न

चीनी मिलों का सुदृढ़ीकरण

1801. श्रीमती संगीता यादव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली चीनी मिलों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए चीनी मिलों को सहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार ने पिछले पाँच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में कोई पहल की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): भारत सरकार ने आवश्यकतानुसार समय-समय पर नीतिगत हस्तक्षेप के रूप में चीनी मिलों को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जो इस प्रकार हैं:

i) केंद्र सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3(1) में उल्लिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) निर्धारित करती है।

ii) इथेनॉल उत्पादन के लिए अतिरिक्त चीनी के उपयोग से चीनी उद्योग अधिक व्यवहार्य हो गया है और किसानों को उनका बकाया भुगतान समय पर मिल रहा है क्योंकि अतिरिक्त चीनी के उपयोग से अतिरिक्त चीनी की समस्या का समाधान हुआ है, चीनी की कम बिक्री पर अंकुश लगा है, चीनी मिलों की चलनिधि में सुधार हुआ है और किसानों के गन्ने के बकाये का समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

iii) सरकार ने चीनी की मिल-द्वार कीमतों में गिरावट और गन्ना मूल्य बकाया के संचय को रोकने के लिए वर्तमान चीनी मौसम 2024-25 (अक्तूबर-सितंबर) के दौरान 10 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी है।

.....2/-

iv) चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य प्रारंभ में दिनांक 07-06-2018 से 29 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया था; और दिनांक 14.02.2019 से संशोधित कर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया।

v) चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत, चीनी मिलों को चीनी विकास निधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, जिसमें अन्य बातों के अलावा, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार, गन्ना विकास, खोई-आधारित सह-उत्पादन विद्युत परियोजनाओं, निर्जल अल्कोहल या इथेनॉल/शून्य द्रव उत्सर्जन (जेडएलडी) संयंत्र के उत्पादन के लिए सहायता प्रदान की गई। हालाँकि, चीनी विकास निधि ऋण योजनाएँ दिनांक 21.09.2021 को बंद कर दी गई हैं।

(ख) और (ग): देश में पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रित (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत निर्धारित मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़ाने हेतु, भारत सरकार ने वर्ष 2018 से 2022 तक विभिन्न इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएँ शुरू की हैं (वर्ष 2021 में अनाज से इथेनॉल उत्पादन को भी इन योजनाओं में शामिल किया गया था), ताकि चीनी मिलों/डिस्टिलरियों को देश भर में नई डिस्टिलरियों की स्थापना या मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के माध्यम से इथेनॉल डिस्टीलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

इन सभी ब्याज अनुदान योजनाओं के तहत, सरकार परियोजना प्रस्तावकों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान कर रही है, जिसके लिए 6% की दर से ब्याज अनुदान या बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा लिए गए ब्याज का 50%, जो भी कम हो, सरकार द्वारा एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित पाँच वर्षों की अवधि के लिए वहन किया जा रहा है।

सहकारी चीनी मिलों के लिए एक नई इथेनॉल ब्याज सहायता योजना भी दिनांक 06.03.2025 को अधिसूचित की गई है ताकि उनके मौजूदा गन्ना आधारित संयंत्रों को मल्टी-फीड आधारित इथेनॉल संयंत्रों में परिवर्तित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक (दिनांक 30.06.2025 तक) पात्र चीनी मिलों/डिस्टिलरी को ब्याज सहायता राशि जारी करने के लिए नाबार्ड (नोडल बैंक) को 1685/- करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है।
